

# कार्यालय अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

क्रमांक ..... 01 ..... / भवन / एम.सी. / 2016.


रीवा दिनांक 06.01.2017

## कैंटीन के निविदा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की शर्तें

1. संजय गांधी चिकित्सालय स्थित कैंटीन चलाने हेतु मुहर बंद आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2017 तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. कैंटीन एक वर्ष के लिये दी जावेगी, कार्य संतोषप्रद न होने पर एक वर्ष के पूर्व भी एक माह का नोटिस देकर भवन रिक्त कराया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र मंजूर होने पर लाइसेन्स डीड भी भरना होगा तथा ₹.30,000.00 (तीस हजार) अर्नेस्ट मनी (ड्राफ्ट के रूप में) जो कि अधिष्ठाता आटोनामस सोसायटी एस0एस0 मेडिकल कॉलेज, रीवा के नाम देय होगा जो जमा करना होगा।
4. पानी, बिजली का खर्च प्रतिमाह निविदाकार को जमा करना होगा। भवन के रखरखाव की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। भवन में किसी क्षति/कमी की पूर्ति निविदाकार को स्वयं करनी होगी, ऐसा न होने पर क्षतिपूर्ति अर्नेस्ट मनी से की जावेगी।
5. कैंटीन का किराया प्रतिमाह ₹.10,000.00 (रु. दस हजार) अग्रिम के रूप में जमा करना होगा।
6. कैंटीन संचालन हेतु फर्नीचर एवं अन्य बैठक व्यवस्था निविदाकार द्वारा स्वयं करनी होगी।
7. कैंटीन में चिकित्सको/कर्मचारियों/छात्रों एवं सामान्य जनो हेतु अलग-अलग बैठक व्यवस्था होगी तथा कैंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस कोड की व्यवस्था करनी होगी तथा पहचान पत्र लगाना होगा।
8. कैंटीन 24 घण्टे खुली रहेगी तथा कैंटीन में निम्न सामग्री उपलब्ध होने चाहिए :- चाय, कॉफी, डोसा, इडली, नूडल्स, कचोड़ी नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, लस्सी, दही, मठ्ठा, शरयत इत्यादि सभी सामान उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए।
9. पानी भी स्वच्छ एवं जीवाणुरहित होना चाहिए, जिस हेतु आर0ओ0 लगाना आवश्यक होगा।
10. कैंटीन के सामानो एवं गुणवत्ता की जांच चिकित्सको की गठित कमेटी द्वारा समय-समय पर की जावेगी तथा दिये गये सुझावों को मान्य करना होगा।
11. आवेदनकर्ता को श्रम नियमो का पालन करना पड़ेगा तथा कर समाशोधन प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
12. आवेदनकर्ता को पुलिस सत्यापन प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लिफाफा ए एवं बी पृथक रूप से पूर्ण कर लिफाफा सी के अंदर रखा जावेगा तथा लिफाफा ए की शर्तों को पूर्ण होने के उपरांत ही लिफाफा बी खोला जावेगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय सर्वोपरि एवं मान्य होगा।
14. किसी भी विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र, रीवा होगा।

नोट :-

1. निविदा प्रपत्र के साथ अमानती राशि का ड्राफ्ट व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ लिफाफा ए में रखकर बंद करें। सभी ठीक पाये जाने पर लिफाफा बी खोला जावेगा।
2. लिफाफा बी में केवल सामग्री (क्र.-1 से 12) की मात्रानुसार रेट की सूची रखी जाये।
3. लिफाफा ए व बी को एक दूसरे लिफाफा में रखकर उस पर कैंटीन हेतु निविदा ऊपर लिखे व सील करके भेजे।

  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)



लिफाफा-ए

क्रमांक ...../भवन/एम0सी0/2016.

रीवा दिनांक .....

कैंटीन हेतु निविदा प्रपत्र का प्रारूप

1. निविदाकार का पूरा नाम तथा फर्म का पता .....
2. उय/लिंग ...../वर्ष .....पु0/ग0 .....
3. पिता का नाम .....
4. स्थानीय पता .....
5. स्थायी पता .....  
पते संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
6. किसी राजपत्रित अधिकारी से .....  
प्रमाणित दो पासपोर्ट साइज की फोटो संलग्न करें।
7. श्रम विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें .....
8. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें .....
9. कैंटीन ठेके की अमानती राशि रू0 .....  
30,000.00 (रू.तीस हजार) अंको एवं शब्दों में लिखें।  
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक एवं दिनांक .....  
बैंक का नाम .....
10. आयकर स्थायी नम्बर, पी.ए.एन./टैन का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें .....
11. कर समानशोध प्रमाण पत्र .....
12. अन्य जानकारी एवं संबंधित .....  
दस्तावेज संलग्न करें।
13. पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र .....
14. खाद्य सामग्री लायसेंस .....

नोट :-

गैने आपके द्वारा प्रकाशित निविदा दिनांक .....को समाचार पत्र .....  
में प्रकाशित हुई है के अनुसार कैंटीन व्यवस्था का ठेका सभी शर्तों के साथ मान्य करता हूँ।

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

## लिफाफा-बी

३१०)

अभिष्ठाता,  
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय,  
रीवा (म०प्र०)

विषय - संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा की कैंटीन हेतु मासिक राशि

## लिफाफा-बी

सामग्री का नाम	मात्रा	रेट
1. चाय		
2. कॉफी		
3. डोसा		
4. इडली		
5. नूडल्स		
6. कचौड़ी		
7. लरसी		
8. दही		
9. रागोसा		
10. पोहा		
11. डेजीटेबल कटलेट		
12. डेजीटेबल रोण्डविय		

उपरोक्त सामग्री के मात्रानुसार रेट दिया जाना आवश्यक है।

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता